नगर पंचायत कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2014 से 03/2016

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर पंचायत कोटखाई, जिला शिमला के अवधि 4/14 से 3/16 के लेखाओं का अंकेक्षण किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर श्री रविन्द्र चौहान व श्रीमती शारदा वर्मा प्रधान व श्री अनिल चौहान, सचिव कार्यरत रहे।

(ग) नगर पंचायत कोटखाई के लेखाओं अवधि 04/2014 से 03/2016 के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर आपत्तियों का संक्षिप्त सारः–

क्रमांक	गम्भीर अनियमितताओं का सम्बन्धित सार	पैरा संख्या	राशि ₹ लाख में
1	सावधि योजना में निवेश राशि पर ब्याज की कम प्राप्ति	5 (1)	0.23
2	सावधि योजना में राशि पर TDS की अनाधिकृत कटौती	5 (2)	1.13
3	दिनांक 31.3.16 तक अनुदान की अनुपयुक्त राशि	8	113.56
4	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग से प्राप्त अनुदान का उपयोग न करना	8 (1)	15.57
5	31.3.16 तक किराये की लम्बित राशि की वसूली न करना	9	49.57
6	मोबाईल टावरों का सत्यापना एवं नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करना	13	0.60
7	मजदूरी का अनियमित भुगतान	14	4.84
8	बिना उपयोग वाहन संख्या HP–63–873 की मुरम्मत पर व्यय करना	15	1.06
9	प्रतिभूति राशियों का भुगतान औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना करना	17	0.86
10	संविदाकारों के बिलों से बिक्री कर व श्रम उपकर की कटौती को जमा न करना	21	0.26

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट ''क''** पर दर्शाई गई है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर पंचायत द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर पंचायत कोटखाई, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.2014 से 31.03.2016 के लेखाओं का लेखा परीक्षण व निरीक्षण, श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 28.11.16 से 22.12.16 तक के दौरान नगर पंचायत के कोटखाई स्थित कार्यालय में किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जाँच हेतु क्रमशः माह 9/2014 व 5/15 व 4/14 व 5/15 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत कोटखाई प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख/सूचनाओं के आधार पर किया गया है। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी अधूरी सूचना एवम गलत सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

नगर पंचायत कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.14 से 31.03.16 के लेखाओं के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹19000/– मात्र बनता है। अंकेक्षण शुल्क की राशि का भुगतान निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम देय रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा करने हेतु सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 6, दिनांक 22.12.16 द्वारा सचिव नगर पंचायत कोटखाई से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी :—

अवधि	शीर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष मे प्राप्तियॉं	कुल योग	वर्ष में अदायगियॉं	अन्तिम शेष
2014—15	अनुदान	2812128.66	97954.14.00	12607542.66	1166476.00	11441066.66
	अपने साधनों से आय	3149650.44	1045026.59	4194677.03	1289734.00	2904943.03
	कुल योग	**5961779.10**	**10840440.59**	**16802219.69**	**2456210.00**	**14346009.69**
2015—16	अनुदान	11441066.66	2537071.00	13978137.66	2622471.00	11355666.66
	अपने साधनों से आय	2904943.03	2892708.00	5797651.03	1703520.00	4094131.03
	कुल योग	**14346009.69**	**5429779.00**	**19775788.69**	**4325991.00**	**15449797.69**

दिनांक 31.03.2014 को बैंकों में जमा राशि का विवरण :—

(1)	भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता संख्याः 011293421783 में जमा	₹4690977.69
(2)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित के बचत खाता संख्या 7734 में जमा	₹8591808.00
(3)	भारतीय स्टेट बेंक के सावधि जमा खाता संख्याः 1129347532 में जमा	₹2167955.00
	कुल योग	**₹15450740.69**

बैंक समाधान विवरणीः—

दिनांक 31.3.16 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	₹15449797.69
घटावः—	
दिनांक 30.7.2010 का बैंक द्वारा अधिक डेबिट की गई राशि	(—) ₹1276.00
जमाः—	
चैक नम्बर 859400 दिनांक 19.3.16 ₹2219 जारी किया परन्तु 31.3.16 तक बैंक द्वारा पास नहीं किया	(+) 2219.00
बैंकों के अनुसार 31.3.14 को कुल अन्तशेष	₹15450740.69

5 सावधि निवेशः—

नगर पंचायत द्वारा सावधि जमा योजना के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2016 तक भारतीय स्टेट बैंक कोटखाई में ₹2167955/— निवेश की थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

सावधि खाता संख्या	निवेश राशि	निवेश की तिथि	परिपक्वता तिथि	ब्याज दर	परिपक्वता की राशि ₹ में
935194	2167955	29.11.15	29.11.16	7.25%	₹2329457

अतः उपरोक्त निवेश को समय पर परिपक्व व तदानुसार लेखांकन किया जाना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दर्शाई जाए।

5(1) सावधि योजना में निवेशित राशि पर देय ब्याज की ₹0.23 लाख की कम प्राप्तिः—

नगर पंचायत कोटखाई ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोटखाई में सावधि जमा योजना के अन्तर्गत दिनाँक 29.11.11 से 29.11.16 तक क्रमशः एक—एक वर्ष के लिए ₹1634759 का निवेश किया था। जिसका विवरण साथ संलग्न है उक्त एफ0डी0आर0 से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि बैंक द्वारा परिपक्वता पर देय ब्याज की राशि पर टी0डी0एस0 की वसूली करने के उपरान्त शेष राशि को खाते में क्रेडिट किया। फलस्वरूप पंचायत के खाते में ₹22922/— को कम क्रेडिट किया गया। इस राशि का विवरण निम्न प्रकार से थाः—

निवेश की राशि	निवेश करने की तिथि	परिपक्वता की तिथि	ब्याज की दर	ब्याज की राशि	परिपक्वता राशि	T.D.S जितना काटा	T.D.S. काटने पर जितनी राशि बनती है	बैंक द्वारा परिपक्वता पर TDS काटकर जो राशि दी	कम राशि
1634759	29.11.11	29.11.12	9.25%	156542	1791301	20841	1770460	1759225	11235
1759225	29.11.12	29.11.13	8.50%	154368	1913593	20595	1892998	1882309	10629
1882369	29.11.13	29.11.14	9.00%	175217	2057586	34939	2022647	2022122	525
2022122	29.11.14	29.11.15	8.75%	182293	2204949	36460	2168489	2167955	533
2167955	29.11.15	29.11.16	7.25%	161502	2329457				
								कुल योग	₹22922

इस सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत कोटखाई को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 5 दिनांक 20.12.2016 द्वारा वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करने बारे कहा गया परन्तु अंकेक्षण समाप्त होने तक नगर पंचायत द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत नहीं करवाया गया। अतः सचिव

नगर पंचायत कोटखाई इस मामले को सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क साधकर कम प्राप्त ब्याज के ₹22922/– की प्राप्ति करके नगर पंचायत निधि में जमा करवानी सुनिश्चित करें।

5(2) TDS ₹1.13 लाख की अनाधिकृत कटौती:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 29.11.11 से 29.11.15 तक भारतीय स्टेट बैंक, कोटखाई में सावधि जमा खाते में निवेशित/पुनः निवेशित राशि पर बैंक द्वारा दिये ब्याज की राशि पर हर वर्ष TDS की कटौती की गई थी। अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 29.11.11 से 29.11.15 तक निवेशित राशि पर बैंक द्वारा ₹112835/–की आयकर की कटौती की गई जबकि सावधि खातों में जमा राशि सरकार द्वारा दिये अनुदानों आदि से सम्बन्धित है। सरकारी संस्था द्वारा किसी भी बैंक में सावधि योजना में निवेश राशि पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर TDS की कटौती नहीं की जा सकती। अतः नगर पंचायत कोटखाई भारतीय स्टेट बैंक में निवेश राशि पर जो TDS की कटौती की ₹112835/– की वापिस हेतु समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

6 ऋण तथा अग्रिम से सम्बन्धित राशियों के बारे में:–

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अंकेक्षण अवधि में कोई भी राशि ऋण के रूप में प्राप्त नहीं की गई तथा इसके अतिरिक्त नगर पंचायत के किसी कर्मचारी से दिनांक 31.03.2016 को स्टाफ अग्रिम की कोई वसूली शेष नहीं थी।

7 स्वीकृत बजट से ₹32.13 लाख का कम व्यय करना:–

नगर पंचायत कोटखाई द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणानुसार ₹9872711 के व्यय हेतु बजट में प्रावधान किया गया था लेकिन परिषद उक्त अवधि के दौरान केवल ₹6659417 का व्यय करने में समर्थ रही। अतः बजट में प्रावधान की शेष ₹3213294 का उपयोग नगर पंचायत द्वारा क्षेत्र वासियों को बजट में निर्धारित मूलभूत सुविधाओं/योजनाओं का पूरा लाभ प्रदान करने से वंचित रखा गया। नगर पंचायत बजट के अनुसार व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करें तथा भविष्य में स्वीकृत बजट को नियमानुसार उपयोग करना सुनिश्चित करें। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2012 से 31.3.2014 तक के पैरा (7) में भी इस सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई थी परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवही अमल में नहीं लाई गई।

वर्ष	बजट (Provision)	वास्तविक खर्च	प्रतिशतता
2014–15	4826544	2456210	50.88%
2015–16	5046167	4203207	83.29%
	9872711	**6659417**	

8 अनुदानः–

दिनांक 31.3.16 तक अनुदान ₹113.56 लाख व्यय हेतु शेषः–

अंकेक्षण अवधि 2014–2015 व 2015–16 के दौरान नगर पंचायत को ₹11356206.86 का कुल अनुदान प्राप्त हुआ जिसका स्त्रोतवार पूर्ण विवरण **परिशिष्ट ''ख से ञ''** में दर्शाया गया है। अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान राशियों में से निम्नलिखित राशियाँ अव्ययित (Unspent) पड़ी थीः–

क्रमांक	अनुदान का स्त्रोत	दिनांक 31.03.2016 को अव्ययित राशि	परिशिष्ट का विवरण
1.	Tourism and Civil aviation.	1517310.00	परिशिष्ट ''ख''
2	13th Finance Commission	158183.00	परिशिष्ट ''ग''
3	4th SFS	1708657.00	परिशिष्ट ''घ''
4	14th Finance Commission	365715.00	परिशिष्ट ''ङ''
5	DC/SDM/BDO	350000.00	परिशिष्ट ''च''
6	Sewerage Schemes	7098000.00	परिशिष्ट ''ज''
7	Swacch Bharat Mission	85695.00	परिशिष्ट ''झ''
8	ULB Roads	72646.86	परिशिष्ट''ञ''
	Total	**₹11356206.86**	

अतः अनुपयुक्त (Unspent) राशियों को या तो सम्बन्धित संस्था को लौटाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इन अनुदानों को अविलम्ब सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से उन उद्देश्यों के लिये खर्च किया जाये जिन के लिये अनुदान प्राप्त हुआ था। कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.1 हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग से Integrated Development in Juble Kotkhai as a tourist civaition in H.P. के अन्तर्गत ₹15.57 लाख के अनुदान को खर्च न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि H.P. tourisam & civil Aviation Deptt के पत्र संख्या 6–6/2009–DT-SML-590 दिनांक 20.6.10 द्वारा Integrated Development of Jubbal & Kotkhai as a tourist circle in Himachal Pradesh के अन्तर्गत Landscaping, beautification, providing lighting points के लिए ₹2000000/– लाख स्वीकृत किया गया जिसके अन्तर्गत ₹600000/– लाख माह 6/10 में नगर पंचायत को प्राप्त हुये थे तथा ₹1200000/– दिनांक 10.4.12 को उक्त कार्य के लिए प्राप्त हुये। अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि कार्य Providing & installation of 2 Nos 16mt. high most light system in Nagar Panchyat Kotkhai के कार्य का आबंटन श्री देस राज को पत्र संख्या 1251 दिनांक 1.10.12 द्वारा ₹624192/– के लिए किया गया था परन्तु यह कार्य अभी तक भी निष्पादित नहीं करवाया गया। सचिव, नगर पंचायत द्वारा चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया कि संविदाकार द्वारा यह निर्माण कार्य नहीं किया गया न ही नगर पंचायत ने अभी तक संविदाकार के विरूद्ध अनुबन्ध की धाराओं 2 व 3 के अन्तर्गत कोई कार्रवाई की और न ही कार्य को रदद/निरस्त करके अनुबन्ध की धारा के अन्तर्गत कार्य का आंबटन अन्य संविदाकार को देने हेतु कार्यवाही की जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। इसके साथ–2 शहर में पिछले कई वर्षों से इस सुविधा से वंचित रहना पड़ा।

उक्त के अतिरिक्त जिस उद्देश्य के लिये अनुदान प्राप्त हुआ था उस उद्देश्य पर अभी तक खर्च न करने बारे स्थिति भी स्पष्ट की जाये तथा अनुदान को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर इस अनुदान को शीघ्र उस उद्देश्य पर शीघ्र खर्च किया जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जायें।

8.2 डिपोजिट कार्य हेतु ₹50.50 लाख के भुगतान के अन्तर्गत ₹45.00 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र की पुष्टि उपरान्त ₹5.50 लाख के उपयोगिता प्रमाण को अभी तक सम्बन्धित विभागों से प्राप्त न करनाः–

नगर पंचायत कोटखाई द्वारा चैक संख्या 262282 दिनांक 20.4.10 द्वारा कार्यकारी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डल जुब्बल जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को

नगर पंचायत में पार्किंग बनाने हेतु ₹4550000 का भुगतान डिपोजिट वर्कस के अन्तर्गत किया गया था तथा ₹400000 का भुगतान चैक संख्या 155644 दिनांक 3.12.10 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत सर्कल शिमला को नवनिर्मित व्यवसायिक परिसर में बिजली की फिटिंग का कार्य करवाने हेतु किया और इसके साथ–2 अतिरिक्त ₹100000 का भुगतान अधीक्षण अभियन्ता को किया उक्त कुल जमा ₹5050000 में नगर पंचायत ने ₹4500000 के उपयोगिता प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए परन्तु शेष ₹550000 के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों से आने शेष है। अतः इनको मंगवाने के लिये सचिव, नगर पंचायत, शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही करें और ₹550000 के उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में दिखाये जाने सुनिश्चित करें।

9 दुकानों के किराये ₹49.57 लाख वसूली हेतु शेषः–

दुकानों से सम्बन्धित किराये मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तथा संस्था द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचना **परिशिष्ट "ध"** की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.3.16 तक विभिन्न दुकानदारों से किराये ₹4957288 की वसूली हेतु शेष थी। परिशिष्ट के अवलोकन से यह स्वतः ही स्पष्ट प्रतीत होता है कि नगर पंचायत दुकानदारों से किराए की वसूली हेतु गम्भीर नहीं है। उक्त राशि की वसूली समय पर न करने के कारण नगर पंचायत को ब्याज के रूप में होने वाली आय से भी वंचित होना पड़ा है। अतः किराये की राशि की वसूली हेतु नियमानुसार पग उठाये जायें और शीघ्र वसूली कर आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापन करवाया जाये।

9.1 नगर पंचायत द्वारा पिछले कई वर्षों से किराये की ₹47.83 लाख की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा कई किरायेदारों से 31.3.16 तक **परिशिष्ट "न"** के अनुसार ₹4782938 किराये की बकाया की वसूली नहीं की गई है। जबकि म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के नियम 258 (1) (b) (2) के अनुसार इन किरायेदारों से किराया की वसूली के अनुसार कार्यवाही किये जाने की प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार कार्यवाही न किए जाने के कारण हर वर्ष लम्बित किराए की राशि में लगातार बढ़ौतरी दर्ज हो रही है। अतः नगर पंचायत को परामर्श दिया जाता है कि किराये की बकाया राशि की वसूली हेतु

हि0प्र0 म्यूनिसिपल एक्ट, 1994 में दिये प्रावधान के अनुसार शीघ्र कार्यवाही अमल में लाये और की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 शराब शुल्क की वसूली बारेः–

अवधि 2013–14 से अवधि 2015–16 के दौरान ₹3.71 लाख की प्राप्तिः–

अंकेक्षण के दौरान शराब शुल्क से सम्बन्धित नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान नगर पंचायत को दिनांक 18.9.15 को ₹205598 तथा ₹161212 ही प्राप्त हुये। यह राशि शराब शुल्क के अन्तर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग से कौन–2 से वर्ष की प्राप्त हुई। इस सन्दर्भ में नगर पंचायत द्वारा कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया और न ही रोकड़ बही में ऐसी प्रविष्टि पाई गई कि उक्त राशि हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग से शराब कर के रूप में प्राप्त हुई। रजिस्टर में यह राशि वर्ष 2013–14 की प्राप्ति दर्शाई गई है। अतः अभिलेखों का रख रखाव ठीक ढ़ंग से न किया जाना और रोकड़ बही में प्रविष्टि से यह स्पष्ट न होना कि यह राशि शराब शुल्क के अन्तर्गत प्राप्त हुई है, के फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि वास्तव में यह प्राप्त राशियाँ शराब शुल्क के अन्तर्गत प्राप्त हुई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर पंचायत आबकारी एवं कराधान विभाग से जब से यह राशि नगर पंचायत को शराबकर के रूप में Excise & Taxation Deptt. से प्राप्त होनी आरम्भ हुई है, का मिलान कर सुनिश्चित करें कि वर्ष 2016–17 आबकारी एवं कराधान विभाग से कितनी प्राप्ति हो चुकी है और किस वित्तीय वर्ष की अभी प्राप्त होनी शेष है। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 बिजली शुल्क की पिछले कई वर्षों से प्राप्ति का न होनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0डी0 (1)–9/94 दिनांक 24.8.2000 के अनुसार नगर पंचायत की सीमा के भीतर बिजली की कुल खपत पर दिनांक 1.10.2000 से एक पैसा प्रति यूनिट की दर से हिमाचल विद्युत बोर्ड द्वारा सम्बन्धित नगर पंचायत में जमा किया जाना अपेक्षित था। नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाये अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत को इस मद में विद्युत बोर्ड से वर्ष 2008–09 में दिनांक 31.8.2008 में प्राप्त ₹31433 मात्र के पश्चात 31.3.2016 तक कोई भी राशि नगर पंचायत के अभिलेखों के अनुसार प्राप्त नहीं हुई। इस सन्दर्भ में जब सचिव नगर पंचायत से अंकेक्षण के दौरान चर्चा हुई थी उन्होने अंकेक्षण को अवगत करवाया कि इस

सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से बार–2 पत्राचार किया जा रही है परन्तु इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर एवं राशि विद्युत बोर्ड से प्राप्त नहीं हुई जिसके फलस्वरूप नगर पंचायत को आय में अब तक लाखों ₹ की हानि हो रहा है। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में बार–2 आपत्ति जताई जा रही है। अतः सचिव नगर पंचायत को परामर्श दिया जाता है कि वे यह मामला व्यक्तिगत तौर पर और निदेशक शहरी विभाग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के उच्च अधिकारियों से उठाया जाए और इस शीर्ष के अन्तर्गत शीघ्र प्राप्ति की जाये। कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12 गृहकर अधिरोपित न करके नगर पंचायत को राजस्व की अप्रत्याशित हानिः–

हि0प्र0 म्यूनिसिपल एक्ट, 1994 की धारा 65 के अनुसार 7.5**%** की दर से नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाले भवनों तथा जमीन पर गृह कर अधिरोपित करने का प्रावधान है। द्वितीय वित्त आयोग (SFC) की संस्तुति के अनुसार निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश द्वारा सभी स्थानीय निकायों को गृह कर 7.5**%** की दर से अधिरोपित कर हर वर्ष 1**%** की बढ़ौतरी करते हुये अधिकतम 12.5**%** की दर से गृहकर अधिरोपित कर उसकी वसूली करने का निर्देश जारी किये गए है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत कोटखाई द्वारा उपरोक्त में दिये प्रावधान तथा निदेशक शहरी विकास द्वारा जारी रा0वि0 आयोग की संस्तुति की अनुपालना न करने पर नगर पंचायत द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्मित भवनों पर गृहकर का अधिरोपित अभी तक न कर नगर पंचायत की लाखों की आय गृहकर के अन्तर्गत प्राप्ति होनी थी जिसके प्राप्त न होने पर नगर पंचायत को हर वर्ष लाखों की वित्तीय हानि हो रही है, जिस बारे नगर पंचायत अपनी स्थिति स्पष्ट करें। इस बारे अंकेक्षण के दौरान गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में आपत्ति जताई जा रही है। अतः इस मामले में शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही की जाये और गृहकर को शीघ्र अधिरोपित किया जाये ताकि नगर पंचायत की आय में बढ़ौतरी हो सके।

13 मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क ₹0.60 लाख की वसूली शेषः–

सचिव, सूचना एवं प्रौद्योनिकी हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT-Dev(IT)-2005 (Misc.) H(A)(7)-1/2006-10396-10441 दिनांक 25.9.2006 में जारी निर्देशों के अनुसार नगर पंचायत सीमा के अन्दर मोबाईल कम्पनियों द्वारा टावर स्थापित करने पर प्रति टावर ₹10000 स्थापना शुल्क तथा ₹5000 वार्षिक प्रति टावर नवीनीकरण शुल्क तथा 5 वर्ष

के पश्चात 25**%** की नवीनीकरण शुल्क पर बढ़ौतरी कर किये जाने का प्रावधान है। यदि कोई मोबाईल कमपनी एक मुश्त 5 वर्ष की अग्रिम नवीनीकरण शुल्क जमा करती है तो उसे 40**%** की छूट देने का भी प्रावधान है।

अंकेक्षण में नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि नगर पंचायत कोटखाई की सीमा में बी0एस0एन0एल0 द्वारा वर्ष 2008 में एक मोबाईल टावर स्थापित किया था परन्तु कम्पनी द्वारा न तो आज तक नगर पंचायत में संस्थापन शुल्क ₹10000 और नवीनीकरण शुल्क ₹50000 जमा करवाई जिसकी विवरण निम्न प्रकार से हैः–

कम्पनी का नामः– बी0एस0एन0एल0

स्थापित करने का वर्षः–2008

संस्थापन शुल्कः– ₹10000

नवीनीकरण फीस अवधि 2008 से 2012

(5000P.a. i.s. (5x5000)   25000

अगले वर्ष का नवीनीकरण शुल्क

i.x. 2013 to 2016=5000+2.50 बढ़ौतरी i.e. ₹6250X4=25000

कुल योग ₹60000

इस सन्दर्भ में सचिव, नगर पंचायत, कोटखाई को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3 दिनांक 28.11.16 द्वारा बी0एस0एन0एल0 से ₹60000 की वसूली न करने के बारे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। इस सन्दर्भ सचिव नगर पंचायत, कोटखाई द्वारा अपने उत्तर द्वारा अवगत करवाया कि बी0एस0एन0एल0 को स्थापना एवं नवीनीकरण फीस को जमा करने के लिए कई बार लिखा लेकिन उनके द्वारा फीस को जमा नहीं करवाया गया। इस सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि इस मामले को उच्च अधिकारियों के माध्यम से बी0एस0एन0एल0 के उच्च अधिकारियों से उठाकर ₹60000 की वसूली शीघ्र करके कृत कार्यवाही का सत्यापन आगामी अंकेक्षण में करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 श्री राजेन्द्र सिंह वर्क सुपरवाईजर/कार्य पर्यवेक्षक को ₹4.84 लाख का अनियमित भुगतानः–

अवधि 1.4.12 से 31.3.16 तक श्री राजेन्द्र सिंह, वर्क सुपरवाईजर को ₹483552 के wages का भुगतान किया गया। उक्त व्यक्ति की नियुक्ति नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर पर सरकार की स्वीकृति के बिना की गई थी। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों अवधि 1.4.96 से 31.3.97 के पैरा 5(1), 1.4.2007 से 31.3.11 के पैरा 7 (3) तथा 1.4.11 से 31.3.12 के पैरा–16 तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.12 से 31.3.14 के पैरा 15 में यह उल्लेखित किया गया था कि यह नियुक्ति तब तक नियमित नहीं मानी जा सकती जब तक इस नियुक्ति के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता। अतः नगर पंचायत उक्त नियुक्ति के नियमितिकरण हेतु मामला सरकार से उठाकर इस नियुक्ति को शीघ्र नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें। अवधि 2/2002 से 31.3.16 तक किये भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1	माह 2/2002 से 31.3.14 तक किया गया भुगतान जिसका विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2014 के पैरा 15 में है	₹425942
2	अवधि 4/14 से 3/16 तक किया भुगतान	₹57610
	कुल भुगतान	**₹483552**

15 नगर पंचायत द्वारा वाहन हाईड्रोलिक टिप्पर संख्या एच0पी0–63–8573 को बिना उपयोग किए उस की मुरम्मत पर ₹1.06 लाख का व्यय करनाः–

नगर पंचायत के पास एक मात्र वाहन हाईड्रोलिक टिप्पर है जोकि कूडा कर्कट इत्यादि के उठाने के उद्देश्य से सरकार से प्राप्त अनुदान तथा अपनी निधि से अक्तूबर, 2010 में ₹768274 का क्रय किया गया जिसका उपयोग न करने के कारण इस वाहन के रिम, टायरों आदि की चौरी हो गई थी। वाहन का उपयोग न होने के कारण नगर पंचायत में चालक का न होना बताया गया। वर्ष 2015 में वाहन को उपयोग करने के लिये नगर पंचायत द्वारा वाहन की मुरम्मत के लिये कमेटी बनाई गई जिसमें प्रधान, उप प्रधान तथा सचिव नगर पंचायत सदस्य को सदस्य बनाकर कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा रिम और टायरों की खरीद अम्बाला (हरियाणा) तथा वाहन की मुरम्मत में जो सामान डालना था उसकी खरीद

ढली शिमला से की गई तथा वाहन की मुरम्मत गुम्मा कोटखाई से करवाई गई जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

वा0सं0/दि0	**बिल सं0/दि0**	**फर्म का नाम व पता**	**मद का ब्यौरा**	**दर**	**राशि ₹ में**
9, dt. 30.6.15	67/15.3.15	मै0 अमित डिस्पोजल स्टोर अम्बाला शहर	6 रिम रिंग सहित	2835	17010
-do-	7412/20.2.15	सूर्या टायर और ट्रेडर्ज एस0सी0एफ0 414, न्यू मोटर मार्केट मनिमाजरा (चण्डीगढ़)	6 नं0 टायर	10000 9500	68500 -
-do-	8694/10.3.15	मै0 ककड़ ऑटो एजेन्सी अम्बाला शहर	ए0एस0एस0 नट 36 नं0	-	2126
-do-	165/25.3.15	आर0बी0 रोडवेज कोटखाई, शिमला	ढुलाई के प्रभार	-	1500
-do-	314/5.6.15	मै0 रवि ऑटो ईलैक्ट्रिक वर्क छोल, कोटखाई शिमला	सहायक वस्तुए	-	1820 +290
-do-	9214/9.6.15	स्वरूप सर्विस स्टेशन कोटखाई	20 ली0 डीजल	-	1054
-do-	Nil	अशोक ऑटो,	मजदूरी प्रभार	-	1200
35 dt. 30.5.15	653/30.5.15	गुम्मा चन्दन ऑटोस्पेयर ढली शिमला	पुर्जे	-	5943
	1.6.15	मै0 बिटटू ऑटो ईलैक्ट्रोनिक वर्क ढली, शिमला	बैटरी 90 ए0एम0	1	6200
					105643

वाहन को ठीक करवाने के पश्चात कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि वाहन का उपयोग तब नहीं किया जाये जब तक कूडे के फैंकने के स्थान का निर्णय नहीं हो जाता। अतः इस निर्णय के आधार पर वाहन लगभग एक साल से बिना उपयोग के खड़ा है जिसके कारण इस की मुरम्मत पर कियें व्यय ₹105643 को न्यायोचित ठहराने बारे स्पष्टीकरण दिया जाये।

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2015 में वाहन को ठीक करवा लिया गया परन्तु वाहन का उपयोग अंकेक्षण समाप्ति तक करने पर नहीं किया गया अंकेक्षण अधियाचना संख्या 4 दिनांक 19.12.16 को वाहन का उपयोग न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने को कहा। इस सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत ने उत्तर में स्पष्ट किया कि शहर के कूडे कचरे को ठिकाने लगाने हेतु टिप्पर का उपयोग किया जाए जिसके लिये ड्राईवर को out-Source के आधार पर रखा जाये

दिनांक 6.10.16 को ड्राईवर को out-Source के आधार पर रखने हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गई लेकिन अध्यक्ष, नगर पंचायत द्वारा दिये आदेश पर टिप्पर को तब तक न चलाया जाए जब तक कूडा कचरा सन्यत्र नहीं लग जाता जबकि नगर पंचायत द्वारा वार्ड नं0 1 छील में कूडा कचरा के निपटारा करने हेतु जगह का चयन भी किया गया था। अतः वाहन का उपयोग न करने पर इस पर किये व्यय ₹105643 व्यर्थ/अनियमित था। अतः यह मामला निदेशक शहरी विकास विभाग के ध्यानार्थ लाया जाता है।

वाहन की मुरम्मत में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः–

(1) वाहन की मुरम्मत अधिकृत डीलर से न करवाकर खुले बाजार से करवाने बारे स्थिति स्पष्ट कर आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये और इसके साथ–2 वाहन की मुरम्मत खुले बाजार से करवाने से पूर्व क्या–2 औपचारिकताऐं की गई, से बारे भी सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दिखाये जाने सुनिश्चित किये जाये।

(2) वाहन की मुरम्मत में जो नये पुर्जे आदि डाले गये उनकी प्रविष्टी भी वाहन मुरम्मत रजिस्टर में कर आगामी अंकेक्षण दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

(3) वाहन में जो नये पुर्जे डले उसके पुराने पुर्जे की प्रविष्टि ओल्ड पार्ट रजिस्टर में दर्ज करके आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

16 Name of work:- C/O Parking (Steel work i.e. gate, gumti & fencing

Name of Contractor: Sh. Suresh Kumar (M/S Aman steel fabrication

M.B. No.: 17 Page 76 to 78

Bill No. First and final bill

नगर पंचायत ने कोटखाई में निर्मित कार पार्किंग में स्टील वर्क पी/एफ ऑ गेट, गुमटी और फैन्सिंग के कार्य के अन्तर्गत श्री सुरेश कुमार (मै0 अमन स्टील फेबरिकेशन) को वाउचर संख्या 18/5 दिनांक 22.5.15 द्वारा ₹84660 का भुगतान किया। इस भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच पड़ताल करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण आपत्तियाँ पाई गईः–

1 कार्य का आबंटन बिना औपचारिकताएं पूर्ण किये करने बारेः–

वर्कस नियमों में दिये प्रावधान के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के मुरम्मत/निर्माण को करवाने से पूर्व उस कार्य का प्राकलन तथा कार्य स्थल का मानचित्र (नक्शा) बनाकर उसकी

तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन सक्षम अधिकारी से ली जानी अपेक्षित थी जबकि नगर पंचायत ने इस निर्माण कार्य का कोई भी अनुमोदित प्राकलन/अनुमान पत्र तथा नक्शा लेखा परीक्षा के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत किया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस निर्माण कार्य का निष्पादन बिना औपचारिकताऐं पूर्ण किये किया जोकि अनियमित था। अतः निर्माण कार्य का अनुमान पत्र/प्राकलन तथा नक्शा बनाये बिना कार्य का निष्पादन करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

2 निर्माण कार्य में ₹2848 का अधिक भुगतानः–

इस बिल में कुल एम0एस0 स्टील वर्कस की गणना 1057 कि0ग्रा0 में 3.50% extra wastage i.e. 36.99 Kg को जमा कर भुगतान किया जाना था जोकि ₹84238 बनता है क्योंकि यह कार्य कोटेशन आमन्त्रित करके करवाया गया था जिसमें इस प्रकार 3.50% Wastege देने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप 36.99 कि0ग्रा0 का अतिरिक्त/अधिक भुगतान ₹2848 (36.99X₹77)Per Kg किया गया। इस सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत को लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 7 दिनांक 20.12.16 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा जिस सन्दर्भ में उन्होने अपने उत्तर में अंकेक्षण को अवगत करवाया कि कार्य का निष्पादन निविदाएँ आमन्त्रित कर मै0 अमन स्टील फेबरिकेशन गुम्मा से करवाया गया और अधिक ₹2848 की वसूली सम्बन्धित से करके जी–8 रसीद संख्या 95 (469) दिनांक 29.12.16 द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार से कर ली गई जिसकी सत्यापना अंकेक्षण के दौरान की गई। अतः भविष्य में कार्य का निष्पादन वर्कस नियमों में प्रावधान के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3 मै0 अमन स्टील फेबरिकेशन को बिल का भुगतान बिना प्रतिभूति राशि की कटौती के किया गया जबकि नियमानुसार निर्माण कार्य के कुल भुगतान में 10**%** के हिसाब से प्रतिभूति राशि की कटौती करके किया जाना अपेक्षित था जबकि नगर पंचायत ने फर्म को ₹84660 का जो भुगतान किया उसमें कुल भुगतान ₹88463 में से सेल्स टैक्स ₹1769 I.Tax 1769 तथा 15**%** S Charge on I.Tax ₹265 की कटौती करके किया जबकि 10**%** के हिसाब ₹8846 की प्रतिभूति की राशि की कटौती नहीं की गई जोकि अनियमित थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

17 **₹0.86 लाख की प्रतिभूति राशियाँ बिना औपचारिकताऐं पूर्ण किये वापिस करने बारेः—**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित मामलों में संविदाकारों को प्रतिभूति राशि की वापिसी उनके द्वारा नगर पंचायत में दिये आवेदन के आधार पर बिना लोक निर्माण विभाग कार्य नियमावली में दिये प्रतिभूति वापिसी के प्रपत्र को भरकर तथा बिना सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र के किया जो अनियमित था। अतः बिना औपचारिकताऐं पूर्ण किये व नियमों में दिये प्रपत्र को भरकर तथा बिना सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और भविष्य में प्रतिभूति राशि को लौटाने से पूर्व नियमों में दिये प्रपत्र को भरकर व सक्षम अधिकारी से आवश्यक प्रमाण पत्र व संस्तुति प्राप्त कर किया जाये जिन मामलों में प्रतिभूति राशि बिना औपचारिकताऐं पूर्ण कर वापिस लौटाई गई उनका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वाउचर संख्या/दिनांक	संविदाकारों का नाम	निर्माण कार्य का नाम	प्रतिभूति राशि ₹ में
1 of 4/14	Sh. Rajinder Chauhan	C/o Rehan Basasa (SH. Devlopment of site for septic tank)	6827
2 of 4/14	Sh. Rajinder Chauhan	P/L C.C. 1 Sheets in stadium at Kotkhai	9955
3 of 4/14	Sh. Chaman Lal	C/O Breast wall near N.p. Toilet	53413
4 of 4/14	Sh. Sandeep Chauhan	C/O Parking Place at Bus stand	1960
5 of 4/14	-do-	C/O Path from SDO Office, HPPWD to Govt. Sr.Sec.Schhol Kotkhai	3423
6 of 4/14	-do-	C/O Path from PWD office towards chhol village R/O 0/250 to 0/350	10333
		Total	**₹85911**

18 **खाता संख्या 11293421568 से बैंक द्वारा ₹5700 की कटौती करने बारेः—**

अंकेक्षण के दौरान खाता संख्या 11293421568 की पास बुक के अवलोकन करने पर पाया गया कि बैंक द्वारा इस खाते से ₹5700 की कटौती की गई परन्तु यह कटौती बैंक द्वारा की गई इस सन्दर्भ में खाते की पास बुक में जो ब्याज दिया गया उसमें RBI Notification के अन्तर्गत हर सोसाईटी से कटौती की गई परन्तु इस सन्दर्भ में नगर पंचायत ने कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन बैंक से प्राप्त कर अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई जिससे इस कटौती को न्यायोचित

ठहराया जा सके। अतः सचिव नगर पंचायत इस कटौती की ₹5700 के मामले को बैंक से उठाकर इस कटौती के बारे में वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

19 वाऊचर संख्या 10 माह 5/15 ₹1.16 लाखः–

उक्त भुगतान वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि 4/15 के कर्मचारियों के वेतन का कुल भुगतान ₹119753 बनता था परन्तु जो भुगतान किया गया वे ₹116753 किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कर्मचारियों को ₹3000 का भुगतान कम किया गया यद्यपि यह भुगतान कर्मचारियों को उनके बैंक खाते के जमा करके किया जिससे श्री रोशन लाल सेवादार को ₹3000 का भुगतान कम किया गया जिसकी जाँच अपने स्तर पर कर इस ₹3000 को सम्बन्धित कर्मचारी के खाते में जमा किया जाये तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20 हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड को बिजली के बिलों के भुगतान में सेवा कर (Service Rent) के रूप में ₹29736 का भुगतान करने के बावजूद शहर में बिजली को ठीक करने के लिये सेवा न देनाः–

सचिव नगर पंचायत कोटखाई ने चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया कि शहर में स्ट्रीट लाईट को सुचारू रूप से चलाने के लिये तथा उनकी समय–2 पर मुरम्मत करने के लिये सामग्री की आपूर्ति नगर पंचायत देता है परन्तु उनकी मुरम्मत हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के स्टॉफ द्वारा की जाती है जिसके एवज में हर बिजली के बिल में विद्युत बोर्ड को सेवाकर के तहत भुगतान किया जाता है। सचिव नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई सूचना के अनुसार वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 में सेवा कर (Service Tex) के अन्तर्गत ₹29736 का भुगतान किया परन्तु शहर में Street light सुचारू रूप से नहीं चल रही जैसा कि चर्चा के दौरान सचिव ने अवगत करवाया। अतः शहर में Street light को सुचारू रूप से बनाये रखने के लिये नगर पंचायत के माध्यम से मामला हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से उठाया जाये ताकि रात को Street light न होने के कारण कोई दुर्घटना न हो।

21 निर्माण कार्यों से ₹25135 के बिक्री की और ₹1850 के श्रमकर (Sales tax and labour cess) की कटौतियों को सम्बन्धित विभागों में जमा न करवानाः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के बिलों (Total value of work done) से 2% की दर से बिक्री कर की तथा 1% की दर से श्रम उपकर (Labour cess) की कटौती की गई थी। इस प्रकार वर्ष 2014–15 से 2015–16 तक में ₹25135 के बिक्री कर और ₹1850 के श्रम उपकर (Sales tax and labour cess) की कटौतियाँ ठेकेदारों के बिलों से की गई थी परन्तु नगर पंचायत द्वारा इन कटौतियों से प्राप्त राशियों को सम्बन्धित विभागों में जमा नहीं करवाया गया था। अतः इन राशियों को सम्बन्धित विभागों में अभी तक जमा न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट करें और इन राशियों को शीघ्र सम्बन्धित विभागों में जमा करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। विवरण निम्न हैः–

date	Voucher No.	Name of contractor	Name of work	Gross Amount	10% Security	2% income tax	15% S Charge	2 % sale tax	1% labour tax	Depoit in TT Deptt.
3-4-14	13/4	Dyal Singh chauhan	M/O path home Hans Raj ward No. 1	61257	6127	1225	184	1225	613	
29-5-14	13/5	M/S justa	C/O u Shap drain	156471	15647	600	90	600	0	690
3-7-15	1/7	Sandeep Chauhan	C/O Shoping Complex first floor bus stand	123684	12368	2474	371	2474	1237	3711
3-8-15	1/8	Suresh Kumar	CC path chole temple to GSSS Kotkhai	56890		1138	171	1138		1309
3-8-15	3/8	Suresh Kumar	Construction of car parking	60783		1216	182	1216		1398
3-8-15	5/8	Suresh Kumar	Construction of P/F stand near PWD office	41988		840	126	840		966
11-9-15	1/9	Rajeev Gangta	Construction of CC path from chole tample to GSSS Kotkhai	110389		2208	331	2208		2539
28-9-15	4/9	Narayn Dutt Sharma	C/O CC path step from n p office to police station	78868		1577	237	1577		1814
28-9-15	6/9	Narayn Dutt Sharma	C/O CC path from beer singh house to verma niwas	39737		795	119	795		914
28-9-15	8/9	Narayn Dutt Sharma	C/O Cc path from SVM School to N.P. Toilet	39904		798	119	798		917

3-12-15	1/12	Narayn Dutt Sharma	Repair of crimination shed ward No. 5	58200	5820	1164	175	1164		1339
3-12-15	3/12	Som Raj	R/M of toilet/urinal gate near Rehanbasera building	51546	5155	1031	155	1031		1186
15-12-15	7/12	Rupiner Justa	C/O Road side PCC drain in ward No. 2 N.P. Kki	55961	5596	1119	168	1119		1287
23-12-15	14/12	Rajinder Singh	C/O ambulance road pandli road to ramgopal bros chole	447506	44751	8950	1343	8950		10293
			Total	**1383184**	**95464**	**25135**	**3771**	**25135**	**1850**	**29772**

22 रोकड़ बही में तथा जी–8 रसीदों से प्राप्त आय के शीर्ष/स्त्रोत को न दर्शाने बारेः–

नगर पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के अन्तर्गत माह 7/15 में प्राप्त आय से सम्बन्धित जी–8 रसीदों की रोकड़ बही में की गई प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में निम्नलिखित तिथियों में प्राप्त आय की राशियों के स्त्रोत व शीर्ष को नहीं दर्शाया गया है जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि यह राशियाँ किस स्त्रोत एवम किस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त हुई। जिस की पूर्ण प्रविष्टि रोकड़ बही में अब करके आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित करें विवरण निमन प्रकार से हैः–

दिनांक	राशियाँ
30.7.15	5700
30.7.15	225640
30.7.15	106590

23 स्टॉकः–

अंकेक्षण के दौरान निर्माण सामग्री से सम्बन्धित रजिस्टर की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 3.1.14 को हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम से चालान/बिल संख्या 8105076482 दिनांक 3.1.14 द्वारा 200 सीमेन्ट बैग की आपूर्ति ली जिसकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–76 पर की गई है। इन सीमेन्ट बैगों में नगर पंचायत ने 6.3.14 से 7.3.14 के दौरान विभिन्न–2 मुरम्मत/निर्माण कार्यों के लिये ठेकेदारों को 206 बैग सीमेन्ट जारी कर दिये और बकाया में 34 बैग सीमेन्ट नगर पंचायत के स्टोर में पड़े है। जिन्हें लगभग दो साल 11 माह हो जाने के पश्चात भी उपयोग में नहीं लाया गया और स्टोर में अभी तक अनुपयोग पड़े है जोकि इतनी लम्बी अवधि तक उपयोग न होने के कारण खराब हो चुके है। अतः 34

सीमेन्ट बैगों को उपयोग न करने के फलस्वरूप नगर पंचायत को लगभग (34X₹250) ₹8500 की हानि का वहन करना पड़ रहा है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और इन सीमेन्ट बैगों को उपयोग न करने के फलस्वरूप जो नगर पंचायत को हानि हुई है उसकी भरपाई सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

24 वाऊचर संख्या 8 माह 5/15 ₹0.59 लाखः–

नगर पंचायत ने उक्त भुगतान अग्रिम रूप में हि0प्र0 स्टेट इलैक्ट्रोनिक विकास निगम शिमला को एक कम्पयूटर की खरीद के प्रतिफल में किया जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कम्पयूटर तथा अन्य सामग्री प्राप्त हुईः–

	बिल सं0/दिनांक	विवरण	राशि ₹ में
1	36514/18.9.15	ACER Veriton Acer make destop Intel core i34130 processor/intel H81 Series chipsetor Better 4 GB DDR 3 Ram/500 GBSATA HD Drive/DVD RW/VSB Key Board 18.5" woides Screen monitor/PL Windows-8/USB optical mouse with three year warrenty except Plastic Parts	42060
2	36555/19.9.15	HPL J 1136 Lazer MP 1136 (A10) A4 Printer with Print/ Scen/Copy up to 18PPM with one year warranty except Tonner and plastic Parts	11300
3	36416/8.9.15	UPS 650 VA ELNOVA ELNOVA 650 VA of/line UPS warrenty 3 years on UPS and 12 month on Batter ies.	5500
		Total	**58860**

इस खरीद की प्रविष्टि नियमानुसार पूरे विवरण के सहित सम्पति रजिस्टर में की जानी अपेक्षित थी जोकि नहीं की गई। अतः इसकी प्रविष्टि पूर्ण विवरण सहित सम्पति रजिस्टर में करके आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

25 अभिलेख का रख–रखाव न करनाः–

नगर पंचायत अपने आय के संसाधनों के लिये कई प्रकार की आय की प्राप्ति तहबाजारी पार्क से प्राप्त आय स्टेडियम में गाडी द्वारा सामान की उत्तराई/चढ़ाई के अन्तर्गत तय दर के आधार पर आय की प्राप्ति करता है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन संसाधनों से प्राप्त होनी वाली आय से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव नहीं किया जा रहा है केवल रसीद जारी कर आय की प्राप्ति को सीधे रोकड़ बही में अंकित किया जा रहा है जिससे यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि वर्ष के दौरान कितने आवेदन कर्ताओं से प्राप्ति की

और किन से नहीं। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की आय से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख तैयार किये जाये ताकि इन स्त्रोतों से प्राप्त होनी वाली आय की जाँच सुनिश्चित हो सके।

26 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

27 **निष्कर्षः–** लेखों के रख–रखाव में अधिक सुधार की आवश्यकता है तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों के निपटारे हेतु आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाये जायें।

हस्ता/–

(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्या :–V (i) 86/87 फिन(एल0ए0) खण्ड–6–2260–2261 दिनांकः 20.04.2017, शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

(1) निदेशक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002 को पैरा 1(ग) पर वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत :– (2) सचिव, नगर पंचायत कोटखाई, तहसील कोटखाई, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–

(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

परिशिष्ट (क)

पैरा संख्या 1 (घ) में सन्दर्भितः–

नगर पंचायत कोटखाई जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखों के विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट पैरों की वर्तमान अंकेक्षण के उपरान्त शेष अनिर्णीत पैरां की स्थिति निम्न थीः–

(क) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 03/87

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 9	अनिर्णीत
3	पैरा 10 (ए) (1)	अनिर्णीत
4	पैरा 10 (बी)	अनिर्णीत
5	पैरा 19	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/87 से 03/90

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 10 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा 13 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा 13 (2) (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 13 (2) (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 13 (3 से 5)	अनिर्णीत
7	पैरा 14 (1)	अनिर्णीत
8	पैरा 14 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा 15	अनिर्णीत
10	पैरा–16 (क) (ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 17 (1) (क)	अनिर्णीत
12	पैरा 17 (1) (ख)	अनिर्णीत
13	पैरा 17 (2) क (1 से 5)	अनिर्णीत
14	पैरा 17 (2) (ख)	अनिर्णीत

15	पैरा 17 (2) (ग) (1 से 4)	अनिर्णीत
16	पैरा 18 (क) (1) से (3)	अनिर्णीत
17	पैरा 19 (ख)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/90 से 03/96

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 4	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9 (1)(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 9 (8)	अनिर्णीत
6	पैरा 10(1) से (3)	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा 14 (7)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/96 से 03/07

1	पैरा 2 (iv) (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 2 (v)	अनिर्णीत
3	पैरा 2 (vi)	अनिर्णीत
4	पैरा 3 (ii)	अनिर्णीत
5	पैरा 4 (v) व (vi)	अनिर्णीत
6	पैरा 4 (vii) व (viii)	अनिर्णीत
7	पैरा 5 (ii) व (iii)	अनिर्णीत
8	पैरा 5 (vi)	अनिर्णीत
9	पैरा 5 (viii)	अनिर्णीत
10	पैरा 5 (ix)	आंशिक निर्णीत
11	पैरा 6 (i)	आंशिक निर्णीत
12	पैरा 6 (ii)	अनिर्णीत
13	पैरा 6 (iii)	अनिर्णीत

14	पैरा 6 (iv)	अनिर्णीत
15	पैरा 6 (v) (i)	अनिर्णीत
16	पैरा 6 (vi) (i)	अनिर्णीत
17	पैरा 6 (vii)	अनिर्णीत
18	पैरा 6 (viii)	अनिर्णीत
19	पैरा 6 (ix)	अनिर्णीत
20	पैरा 6 (x)	अनिर्णीत
21	पैरा 6 (xi)	अनिर्णीत
22	पैरा 6 (xiii)	अनिर्णीत
23	पैरा 6 (xiv) व (xv)	अनिर्णीत
24	पैरा 6 (xvi)	अनिर्णीत
25	पैरा 6 (xvii)	आंशिक निर्णीत
26	पैरा 6 (xviii),(xix) व (xx)	अनिर्णीत
27	पैरा 6 (xxi)	अनिर्णीत
28	पैरा 6 (xxii)	अनिर्णीत
29	पैरा 6 (xxiv) से (xxvii)	अनिर्णीत
30	पैरा 6 (xxix) से (xxx)	अनिर्णीत
31	पैरा 6 (xxxi)	अनिर्णीत
32	पैरा 6 (xxxii)	अनिर्णीत
33	पैरा 6 (xxxiii) से (xxxvii)	अनिर्णीत
34	पैरा 7 (1)	अनिर्णीत
35	पैरा 7 (ii)(i)	आंशिक निर्णीत
36	पैरा 7 (ii)(ii)	अनिर्णीत
37	पैरा 7 (ii)(iii)(iv)(v)	अनिर्णीत
38	पैरा 7 (ii)(xi) से (xiii)	अनिर्णीत
39	पैरा 7 (iii)(i) से (ii)	अनिर्णीत
40	पैरा 7 (iv)(i)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/07 से 03/11

1	पैरा 7.4	अनिर्णीत	
2	पैरा 7.5	अनिर्णीत	
3	पैरा 8.1	अनिर्णीत	
4	पैरा 8.6	अनिर्णीत	
5	पैरा 8.8	अनिर्णीत	
6	पैरा 9.1	अनिर्णीत	
7	पैरा 9.3.2	अनिर्णीत	
8	पैरा 9.3.3	अनिर्णीत	
9	पैरा 9.4.1	अनिर्णीत	
10	पैरा 9.4.2	अनिर्णीत	
11	पैरा 9.4.3	अनिर्णीत	
12	पैरा 9.4.4	अनिर्णीत	
13	पैरा 9.5	अनिर्णीत	
14	पैरा 9.7	अनिर्णीत	
15	पैरा 10.1 से 10.4	अनिर्णीत	
16	पैरा 12.2	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/12 तक

1	पैरा 7 (ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 7 (ग)	अनिर्णीत	
3	पैरा 9	अनिर्णीत	
4	पैरा 10	अनिर्णीत	
5	पैरा 11	अनिर्णीत	
6	पैरा 12	अनिर्णीत	
7	पैरा 16	अनिर्णीत	
	पैरा 17	अनिर्णीत	
8	पैरा 18	अनिर्णीत	
9	पैरा 21	निर्णीत	(₹45 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र का सत्यापन तथा बकाया ₹5.50 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र का पैरा पुनः से वर्तमान

			अंकेक्षण में प्रारूपित करने पर)
10	पैरा 23	अनिर्णीत	
11	पैरा 24	अनिर्णीत	
12	पैरा 25	अनिर्णीत	
13	पैरा 26	अनिर्णीत	
14	पैरा 27	अनिर्णीत	

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/12 से 3/14 तक

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क चालान संख्या 25 दिनांक 14.5.2015 द्वारा कोष में जमा)
2	पैरा 4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4 में दी गई। अतः पैरा निर्णीत)
3	पैरा 5	निर्णीत	(निवेश की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 5 में वर्णीत)
4	पैरा 5 (1)	निर्णीत	(देय ब्याज की कम प्राप्ति से सम्बन्धित ब्यौरा अवधि 31.3.16 तक वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 5 (1) में निर्णीत)
5	पैरा 5 (2)	निर्णीत	निवेश राशि पर अर्जित ब्याज में से की कर कटौती का अब तक का ब्यौरा वर्तमान अंकेक्षण के पैरा 5 (2) में वर्णित)
6	पैरा 6	निर्णीत	(ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 6 में वर्णित)
7	पैरा 7	अनिर्णीत	
8	पैरा 8	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 8 में वर्णित)
9	पैरा 8.1	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 8.1 में वर्णित)
10	पैरा 9	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 9 में वर्णित)
11	पैरा 9.1	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 9.1 में वर्णित)

12	पैरा 10	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 10 में वर्णित)
13	पैरा 11	अनिर्णीत	
14	पैरा 12	अनिर्णीत	
15	पैरा 13	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 13 में वर्णित)
16	पैरा 14	अनिर्णीत	
17	पैरा 14.1	अनिर्णीत	
18	पैरा 14.2	अनिर्णीत	
19	पैरा 15	अनिर्णीत	
20	पैरा 16	अनिर्णीत	
21	पैरा 17	अनिर्णीत	
22	पैरा 18	निर्णीत	(₹701 रसीद संख्या 95/468 दिनांक 28.12.16 द्वारा जमा की सत्यापन उपरान्त)
23	पैरा 19	निर्णीत	(₹450 की वसूली जी–8 रसीद संख्या 95/466 दिनांक 27.12.16 के द्वारा की जिसकी सत्यापन उपरान्त पैरा निर्णीत)
24	पैरा 20	अनिर्णीत	
25	पैरा 20.1	अनिर्णीत	
26	पैरा 21	अनिर्णीत	
27	पैरा 21.1	निर्णीत	(₹7854 की वसूली संविदाकार की प्रतिभूति राशि से की जिसकी सत्यापना कर पैरा निर्णीत)
28	पैरा 22	आंशिक निर्णीत	(₹1436 की वसूली संविदाकार की प्रतिभूति राशि से की तथा बकाया ₹3653 की वसूली की जानी बकाया में है)
29	पैरा 22.1	अनिर्णीत	
30	पैरा 23	निर्णीत	(सचिव, नगर पंचायत द्वारा दिये उत्तर के आधार पर पैरा निर्णीत)